

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल

E-mail ID :: dfotwchwar@mp.gov.in Fax (07162)246996

क्रमांक/मा.चि./2017/

प्रति,

छिंदवाड़ा दिनांक

संभागीय प्रबंधक,

एम.पी.आर.डी.सी. संभाग

नर्मदापुरम होशंगाबाद,

विषय :-

Diversion of 19.653 ha(out of 31.679) Reserved Protected & Revenue Forest land for construction of Betul - Sarni-Tekadhana -Junnardev- Parasia Road State Highway No. 43 in favour of Chief Engineer, (BOT)MP Road Development Corporation in chhindwara District of MP.

संदर्भ :-

1. भारत सरकार पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पश्चिम क्षेत्र भोपाल का पत्र क्रमांक 6-एमपी सी 008/2015-बीएचओ/374 दिनांक 28.04.2015
2. भारत सरकार पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पश्चिम क्षेत्र भोपाल का पत्र क्रमांक 6-एमपी सी 008/2015-बीएचओ/765 दिनांक 10.10.2017
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0 प्रगति भवन भोपाल के पृ.क./मा.चि./राजमार्ग क्रमांक 43/13-6/2930 दिनांक 05.05.2017
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष- भू प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल के पृ.क.एफ - 5 / 755 /2014/10 - 11/3079 दिनांक 16.10.2017

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, संदर्भित पत्र (1) से भारत सरकार द्वारा बैतूल-सारणी-टेकाढाना-जुन्नारदेव-परासिया राज्य मार्ग क्र. 43 रकबा 31.679 हे० में से 19.653 हे० की प्रथम चरण की स्वीकृति जारी की गई है।

संदर्भित पत्र (2) से भारत सरकार द्वारा बैतूल-सारणी-टेकाढाना-जुन्नारदेव-परासिया राज्य मार्ग क्र. 43 शेष रकबा 12.026 हे० की प्रथम चरण की स्वीकृति जारी की गई है। संदर्भित पत्र (2) में अधिरोपित शर्त क्रमांक 7 के अनुसार मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0 भोपाल के पत्र दिनांक 05.05.2017 में अधिरोपित शर्तों का शर्तवार पालन आवेदक विभाग से कराकर शर्तवार प्रतिवेदन एवं वचन पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

संदर्भित पत्र (3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0 प्रगति भवन भोपाल के पृ.क./मा.चि./राजमार्ग क्रमांक 43/13-6/2930 दिनांक 05.05.2017 द्वारा अधिरोपित शर्त क्रमांक 4 के पालन हेतु मार्ग के निर्माण लागत की 5 प्रतिशत राशि आपके द्वारा कैम्पा मद में जमा कराया जाना है इस हेतु मार्ग के निर्माण लागत का निर्धारण कर योजना सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करे ताकि 5 प्रतिशत राशि की मांग पृथक से की जा सकें।

संदर्भित पत्र (2) में अधिरोपित शर्त क्रमांक 5 (सी) के पालन हेतु अवैध उत्खनित रकबा 2.35 हे० के एवज में दांडिक एन.पी.व्ही की राशि 8.03 लाख/हे० से शर्त अनुसार 60 प्रतिशत लिया जाना शर्त में लागू किया गया है।

अतः प्रकरण में दांडिक एन.पी.वी की राशि रकबा 2.35 हे० का 8.03 लाख प्रति हे० की दर से 60 प्रतिशत राशि रु. 1132230.00 का निर्धारण किया गया है।

दांडिक एन.पी.वी की राशि रु. 11,32,230.00 ई-पोर्टल के माध्यम से राशि जमा करने का कष्ट करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

(डॉ. किरण बिसेन)

(भा.व.से.2009)

वनमंडलाधिकारी

पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा

पृ. क्रमांक/मा.चि./2017/

छिंदवाड़ा, दिनांक/11/11/17

प्रतिलिपि :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष- भू प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर उनके पृ.क्र. एफ - 5 / 755 / 2014/10 - 11/3079 दिनांक 16.10.2017 के तारतम्य में सूचनार्थ संप्रेषित।

2. वनपरिक्षेत्राधिकारी दमुआ सा० वन परिक्षेत्र की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया भारत शासन की स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 3 सी के पालन में दांडिक वृक्षारोपण रकबा 5.00 हे० बिगड़े वन क्षेत्र की वृक्षारोपण योजना तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। साथ ही के.एम.एल. फाईल प्रस्तुत करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

(डॉ. किरण बिसेन)

(भा.व.से.2009)

वनमंडलाधिकारी

पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा

03/11/17